सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 आश्विन, 1944 (श०)

संख्या - 512 राँची, सोमवार, 17 अक्टूबर, 2022 (ई०)

परिवहन विभाग

संकल्प

13 अक्टूबर, 2022

विषय : झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, 2022 के कार्यान्वयन की स्वीकृति ।

ज्ञापांक-*परि०आ०-349/2015-1517*--झारखण्ड राज्य की 75% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जो छोटे-छोटे गाँवों में एक-दुसरे से दुरस्थ स्थानों पर बँटे हुए है। इन क्षेत्रों में निम्नांकित सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, 2022 लागू की जाती है :-

- सभी गाँवों में माध्यमिक/उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण संस्थान उपलब्ध नहीं रहने के कारण इन क्षेत्रों में रहने वाले छात्र/छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने हेतु अन्य स्थान (प्रखण्ड/अनुमण्डल/जिला मुख्यालय) पर जाना पड़ता है। सुगम परिवहन की व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण गाँव में रहने वाले छात्र-छात्राओं को उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए बाहर जाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ।

- ग्रामीण क्षेत्रों के सभी गाँवों में उच्च चिकित्सा व्यवस्था नहीं रहने के कारण उन्हें बेहतर चिकित्सा प्राप्त करने के निमित्त प्रखण्ड/अनुमण्डल/जिला मुख्यालय आना आवश्यक है ।
- किसानों द्वारा उपजाये जाने वाले पैदावार के विक्रय हेतु प्रखण्ड/अनुमण्डल/जिला मुख्यालय स्थित बाजारों में लाया जाना आवश्यक है। साथ ही, ग्रामीणों द्वारा रोजगार हेतु भी नगर/प्रखण्ड/नजदीकी व्यवसायिक केन्द्र आना आवश्यक है ।
- झारखण्ड में रेल सेवा का विस्तार किया गया, परन्तु रेलवे स्टेशन से गाँवों को जोड़ने हेतु Feeder Service के तहत ग्राम गाड़ी योजना आवश्यक है ।
- ग्रामीण क्षेत्रों में ऑटो रिक्सा/बसों का परिचालन असंगठित तथा अनियंत्रित रूप से बिना परमिट के ही किये जा रहे है, जिसके चलते गाँवों में होने वाले सड़क दुर्घटना में घायल/मृत्त व्यक्तियों को बीमा कम्पनी द्वारा दिये जाने वाले मुआवजा का लाभ भी प्राप्त नहीं हो पाता है।

(1) **<u>पृष्ठभूमि</u>** :-

1.1 परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या-980, दिनांक-18.07.2017 के द्वारा झारखण्ड मोटरवाहन नियमावली, 2001 में कतिपय धाराओं में संशोधन करते हुए <u>झारखण्ड ग्रामीण बस सेवा नियमावली, 2015</u> का गठन प्रखण्ड या अनुमण्डल स्तर से गाँव तक बस सेवाओं के संचालन की सुविधा के लिए किया गया है ।

1.2 झारखण्ड ग्रामीण बस सेवा नियमावली (संशोधित), 2017 के कंडिका-02(ड़ क) में ग्रामीण मार्ग को परिभाषित किया गया है। "ग्रामीण मार्ग" से अभिप्रेत है ऐसा मार्ग जो किसी ग्राम या नगर को दूसरे ग्राम या नगर से अथवा ग्राम को प्रखण्ड या अनुमण्डल से जोड़ता हो, जिसमें साधारण मार्ग (NH SH) का 50 प्रतिशत या 30 कि॰मी॰ मार्गांश दोनों में से जो भी कम हो, से अधिक सम्मिलित न हो तथा ऐसे मार्गों का निर्धारण मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68(3) (ग क) के अंतर्गत किया गया हो ।"

(2) **<u>संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ</u>** :-

2.1 यह योजना "झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, 2022" कहलाएगी ।

2.2 यह योजना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी ।

2.3 इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(3) <u>परिभाषाएँ</u> :-

(1) "ग्रामीण मार्ग" से अभिप्रेत है, ऐसा मार्ग जो किसी ग्राम या नगर को दूसरे ग्राम या नगर से अथवा ग्राम को प्रखण्ड या अनुमण्डल से जोड़ता हो, जिसमें साधारण मार्ग (NH SH) का 50 प्रतिशत या 30 कि॰मी॰ मार्गांश दोनों में से जो भी कम हो, से अधिक सम्मिलित न हो तथा ऐसे मार्गों का निर्धारण मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68(3) (ग क) के अंतर्गत किया गया हो ।

(2) "ऑपरेटर्स" से अभिप्रेत है, वह व्यक्ति जिसके नाम से मोटरयान निबंधित है और जहाँ ऐसा व्यक्ति अवयस्क है उस अवयस्क का संरक्षण अभिप्रेत है और उस मोटरयान के संबंध में जो अवक्रय, करार या पटटे के करार या रेहन क्रिया के करार पर लिया गया है, वह व्यक्ति जिसका उस यान पर उक्त करार के अधीन कब्जा है ।

(3) "नोडल विभाग" से अभिप्रेत है, परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार ।

(4) "वाहन" से अभिप्रेत है, ऐसा मोटरयान जिसे ड्राईवर के अलावा 06 से अधिक यात्रियों को पूरी यात्रा अथवा यात्रा की मंजिलो तक के लिए अलग-अलग यात्रियों द्वारा या उसकी ओर से दिये गये अलग-अलग किरायों पर वहन करने के लिए निर्मित किया गया है या अनुकूल बनाया गया है ।

(5) "स्टेज कैरिज" से अभिप्रेत है, ऐसा मोटरयान जिसे ड्राईवर के अलावा 06 से अधिक यात्रियों को पूरी यात्रा अथवा यात्रा की मंजिलो तक के लिए अलग-अलग यात्रियों द्वारा या उसकी ओर से दिये गये अलग-अलग किरायों पर वहन करने के लिए निर्मित किया गया है या अनुकूल बनाया गया है ।

(6) "परमिट" से अभिप्रेत है, ऐसी परमिट जो इस योजना के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण में किसी मोटरयान का परिवहन यान के रूप में उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करते हुए जारी की है ।

(7) "परमिटधारी" से अभिप्रेत है, ऐसी परमिट जो प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार अथवा सक्षम प्राधिकारी से निर्गत है, के धारक हो ।

(8) "समय-सारणी" से अभिप्रेत है, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा वाहन परिचालन हेतु आवंटित समय ।

(9) "भाड़ा/किराया" से अभिप्रेत है, वे धन राशियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए संदेय है ।

(10) "स्थानीय निवासी" से अभिप्रेत है, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा परिभाषित (समय-समय पर यथासंशोधित) ।

(11) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, झारखण्ड सरकार ।

(4) **<u>परिचय</u>** :-

4.1 ग्रामीण कनेक्टिविटी हेतु निजी बस ऑपरेटरों को प्रोत्साहित करने तथा ग्रामीणों को बेहतर परिवहन सेवा मुहैया कराने के उद्देश्य से एक नयी योजना "झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना-2022" का प्रस्ताव है ।

(5) **<u>नोडल एजेंसी</u>** :-

5.1 परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार "झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना-2022" के लिए नोडल विभाग होगा।

(6) **<u>मुख्य विशेषताएँ</u>** :-

6.1 इस योजना के तहत् वैसे हल्के/मध्यम वाणिज्यिक चार पहिये वाहन जिनमें Hard Top Body तथा Soft Top Body हो, जिनका निर्माण मोटरवाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार **07 तथा अधिकतम 42 यात्रियों** (चालक को छोड़कर) को किराये पर ले जाने के लिए किया गया हो को इस योजना के तहत परमिट एवं सुविधा प्रदान किया जाएगा ।

6.2 Electric Vehicle Policy को लागू/अधिसूचित किये जाने की प्रक्रिया सम्प्रति राज्य सरकार के विचाराधीन है। Electric Vehicle Policy अधिसूचित हो जाने के पश्चात् Policy में शामिल प्रावधानों के अनुरूप Electric वाहनों को अतिरिक्त सुविधा दी जायेगी ।

6.3 इस योजना के तहत् अस्थायी परमिट नहीं दिया जाएगा ।

6.4 इस योजना के तहत् दिये जाने वाले लाभ केवल एक बार पाँच वर्षों की संचालन अवधि के दौरान या आगामी आदेश तक जो भी हो, प्राप्त किया जा सकता है ।

6.5 इस योजना के तहत परिचालित वाहनों का दुरूस्ती (Fitness), बीमा (Insurance), वाहन चालक का चालन अनुज्ञप्ति (Driving License) इत्यादि सभी अभिलेख, जो Motor Accident Claim Tribunal (MACT) वाद के दावे हेतु आवश्यक होते है, को अद्यतन रखा जाना अनिवार्य होगा, ताकि मोटरवाहन दुर्घटना के फलस्वरूप पीड़ित को समुचित मुआवजा प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो ।

6.6 संबंधित ऑपरेटर्स को ग्रामीण मार्गों पर वाहनों के संचालन हेतु निम्नलिखित सब्सिडी प्रदान की जाएगी :-

(i) इस योजना के तहत् प्रथम परमिट निर्गमन की तिथि से 05 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए मार्ग कर में छूट दी जाएगी एवं परमिट शुल्क मात्र रू-1/- लिया जाएगा।

(ii) इस योजना के तहत् संचालित किये जाने वाले वाहनों का निबंधन शुल्क योजना की अवधि तक मात्र रू-1/- लिया जाएगा ।

(iii) यह प्रोत्साहन (मार्ग कर एवं परमिट शुल्क पर छूट) 15 वर्ष से अधिक उम्र वाले वाहनों (चालक को छोड़कर जिसकी बैठान क्षमता 10 से 21 तक हो) के लिए लागू नहीं होगी ।

(iv) पुराने एवं पूर्व से संचालित वाहनों को इस तरह के अधिसूचित मार्गों पर संचालन की अनुमति होगी जिसकी बैठान क्षमता 22 सीट से अधिक हो। 22 सीट से अधिक बैठान क्षमता वाले पुराने वाहनों को कोई ब्याज सब्सिडी नहीं दी जाएगी, उन्हें मात्र परमिट निर्गत की तिथि से 05 वर्ष या वाहन की आयु 20 वर्ष जो पहले हो, तक के लिए मार्ग कर एवं परमिट शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी ।

(v) 20 वर्ष से अधिक आयु वाले वाहनों को इस तरह के अधिसूचित मार्गों पर संचालन किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

6.7 योजना के तहत् सहायता की गई वाहनों को एक अलग रंग के साथ प्रदान किया जाएगा, जैसा कि परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाए, ताकि आमजनों द्वारा इसकी पहचान हो सके ।

6.8 यात्री स्टैंड, वाहनों की योजना और समय के उल्लेख के साथ ग्रामीण मार्गों के प्रमुख स्थानों पर CSR (Corporate Social Responsiblity) Activity के तहत बनाए जाएँगें ।

6.9 योजना के तहत् वित्तीय प्रोत्साहन की तालिका निम्न प्रकार होगी :-

क्र. सं.	**वाहन**	**मार्ग कर**	**परमिट शुल्क**	**वाहन निबंधन शुल्क**
1.	पूर्व से संचालित वाहन जिसकी बैठान क्षमता 10 से 21 (चालक को छोड़कर) हो, तथा 15 वर्ष से अधिक न हो।	कर मुक्त	मात्र रू-1/-	
2.	नई क्रय की गयी वाहन जिसकी बैठान क्षमता **07 से 42** (चालक को छोड़कर) हो।	कर मुक्त	मात्र रू-1/-	मात्र रू-1/-
3.	पूर्व से संचालित वाहन जिसकी आयु 11 वर्ष से 20 वर्ष के बीच हो तथा बैठान क्षमता 22 से अधिक हो।	कर मुक्त	मात्र रू-1/-	

(7) <u>राज्य स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति एवं प्रखण्ड स्तरीय समिति का गठन</u>:-

7.1 प्रखण्ड स्तरीय समिति जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित तथा राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित मार्गों को ही परिवहन विभाग नये ग्रामीण मार्ग के रूप में अधिसूचित करेगा, जो निम्न प्रकार होगी :-

समिति	सदस्य
राज्य स्तरीय समिति	**अध्यक्ष** माननीय विभागीय मंत्री। **सदस्य** 1. सचिव 2. परिवहन आयुक्त 3. संयुक्त परिवहन आयुक्त 4. विभागीय संयुक्त सचिव 5. विभागीय उप सचिव
जिला स्तरीय समिति	**अध्यक्ष** उपायुक्त। **सदस्य** 1. उप-विकास आयुक्त 2. सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी 3. जिला पंचायती राज पदाधिकारी 4. जिला स्तरीय बस परिवहन एशोसिएशन के प्रतिनिधि 5. बैंक/वित्तीय संस्थान के LDM 6. जिला परिवहन पदाधिकारी-सदस्य सचिव, जिला स्तरीय समिति
प्रखण्ड स्तरीय समिति	**अध्यक्ष** प्रखण्ड विकास पदाधिकारी **सदस्य** 1. प्रखण्ड पंचायती राज पदाधिकारी। 2. पंचायत समिति के सदस्य 3. बैंक/वित्तीय संस्थान के प्रतिनिधि

7.2 जिला स्तरीय समिति एवं प्रखण्ड स्तरीय समिति नये ग्रामीण मार्गों को चिन्हित् करते हुए संलग्न प्रपत्र-'क' एवं 'ख' में प्रस्ताव/अनुशंसा विभाग को भेजेंगे ।

(8) मार्ग के चिन्हितकरण हेतु जिला स्तरीय एवं प्रखण्ड स्तरीय समिति की भूमिका :-

8.1 यह योजना राज्य के सभी गैर सेवारत और कम सेवा वाली ग्राम पंचायतों और गाँवों में स्टेज कैरिज ऑपरेशन प्रदान करने की परिकल्पना करती है। शुरूआत में यह योजना ग्राम पंचायतों को प्रखण्ड स्तर से जोड़ने, नजदीकी उच्च शिक्षण संस्थानों/चिकित्सा संस्थानों/नजदीकी मुख्य मार्ग/नजदीकी व्यवसायिक केन्द्र से जोड़ने पर ध्यान केन्द्रित करेगी ।

8.2 पूर्व से अधिसूचित ग्रामीण मार्गों के अतिरिक्त विशिष्ट नए ग्रामीण मार्गों जिनकी अधिकतम लम्बाई-70 कि०मी० की पहचान कंडिका-1 (1.2) में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप की जाएगी, जो प्रखण्ड मुख्यालय/निकटतम शहर/मुख्य सड़क जंकशन/ निकटम शिक्षण संस्थान/निकटतम चिकित्सा संस्थान/रेलवे जंकशन के साथ अधिकतम ग्राम पंचायतों की कंनेक्टिविटी सुनिश्चित करें। मार्ग की लाभप्रदता पर विचार करते हुए मार्ग की लंबाई भिन्न-भिन्न हो सकती है ।

8.3 प्रखण्ड स्तरीय समिति नए ग्रामीण मार्ग का प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति को विहित प्रपत्र-'क' में भेजेगी ।

8.4 जिला स्तरीय समिति विहित प्रपत्र-'ख' में प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर नये ग्रामीण मार्ग को अंतिम रूप देने की अनुशंसा करेगी ।

8.5 राज्य स्तरीय समिति जिला स्तरीय समिति से विहित प्रपत्र-'ख' से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में अधिसूचित किये जाने वाले मार्गों को अंतिम रूप देगी ।

8.6 जिला स्तरीय समिति एवं प्रखण्ड स्तरीय समिति प्रत्येक तिमाही में बैठक आयोजित करेंगे ।

(9) **<u>अहर्त्ता/आवेदन की प्रक्रिया</u>** :-

9.1 इस योजना के तहत झारखण्ड राज्य के सभी स्थानीय निवासी योजना के लाभ हेतु विहित प्रक्रियानुसार आवेदन कर सकते है। लाभार्थियों के चयन में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को प्राथमिकता दी जायेगी।

9.2 आवेदक को इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाईन आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए Link परिवहन विभाग के वेबसाईट jhtransport.gov.in में उपलब्ध होगा। परिवहन विभाग स्थानीय समाचार पत्रों में ग्रामीण मार्गों का प्रकाशन करेगा। साथ ही, आवेदन हेतु निर्धारित लिंक में भी उपलोड करेगा। आवेदन विहित प्रपत्र P.St.S. में किया जाएगा एवं इसके साथ निम्नांकित दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकता होगी :-

(i) पहचान पत्र/आधार कार्ड।

(ii) स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से निर्गत)।

(iii) आयु प्रमाण पत्र।

(iv) शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।

(v) जाति प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो तो)।

9.3 प्रत्येक आवेदन के लिए इस प्रणाली द्वारा एक अद्वितीय संख्या उत्पन्न किया जाएगा, जिसे आवेदक द्वारा आगे पत्राचार के लिए सुरक्षित रखा जाएगा ।

9.4 जबतक ऑनलाईन लिंक नहीं बनाया जाता है तबतक परिवहन विभाग ऑफलाईन आवेदन एवं संबंधित दस्तावेज स्वीकार करेगा। हालांकि ऑनलाईन लिंक कार्यशील होने के बाद शत् प्रतिशत् ऑनलाईन प्रक्रिया के तहत् विभाग द्वारा कार्य किया जाएगा ।

(10) **<u>परमिट निर्गमन</u>** :-

10.1 परमिट की स्थायी स्वीकृति 05 सालों के लिए दी जाएगी तथा सफल अभ्यार्थियों को परिवचन दाखिल करना होगा कि वे परमिट की समाप्ति अवधि तक संतोषजनक रूप से सेवा यान का परिचालन मार्ग पर करेंगे अन्यथा उनके परमिट को रद्द किया जा सकेगा।

10.2 समय-सारणी का निर्धारण संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के द्वारा किया जाएगा तथा वर्तमान में परिचालित बसों के परमिटधारियों की समय-सारणी पर आपत्ति मान्य नहीं होगी ।

10.3 इस योजना के तहत परिचालित होने वाली वाहनों का परमिट नवीकरण/अनापत्ति प्रमाण पत्र/स्वामित्व हस्तान्तरण इत्यादि कार्यों का निष्पादन S-permit तथा VAHAN सॉफ्टवेयर के वर्त्तमान प्रावधान के अनुसार ही किया जायेगा। संबंधित सॉफ्टवेयर में Auto Approval का प्रावधान जो सम्प्रति प्रक्रियाधीन है, के लागू किये जाने के फलस्वरूप इस योजना के तहत परिचालित वाहनों से संबंधित कार्यों का निश्पादन भी Auto Approval Mode पर किया जायेगा ।

10.4 संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा लाभार्थियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर परमिट निर्गत किया जाएगा। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा लाभार्थियों के चयन में ST, SC एवं OBC को प्राथमिकता दी जायेगी ।

(11) <u>योजना का क्रियान्वयन/निगरानी</u> :-

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु परिवहन विभाग के अंतर्गत PMU (Project Management Unit) का गठन किया जायेगा। इसमें अधिकतम 03 कर्मी नियुक्त किये जायेंगे जो इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु लगातार कार्यरत रहेंगे। साथ ही इस योजना के तहत परिचालन सेवा से संबंधित मुद्दे का Reporting, Feedback, Grievances इत्यादि की भी निगरानी करेंगे। गठित PMU (Project Management Unit) परिवहन आयुक्त, झारखण्ड, राँची के नेतृत्व में कार्य करेंगे, जो उक्त समस्याओं के निराकरण हेतु सक्षम/प्रधान होंगे।

(12) <u>वित्तीय सहायता</u> :-

12.1 प्रथम चरण में 500 वाहनों पर विचार करते हुए न्यूनतम 07 तथा अधिकम 42 सीटों की बैठान क्षमता वाले वाहनों के लिए पहले वर्ष में ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाती है, तो तमाम वित्तीय समर्थन निम्नलिखित रूप में होगी :-

क्र.सं.		
1.	वाहन की अनुमानित लागत	20,00,000/-
2.	20% की दर पर मार्जिन राशि	4,00,000/-
3.	आई॰ एन॰ आर॰ में 80% ऋण घटक	16,00,000/-
4.	5% आवंटन घटक पर ब्याज सब्सिडी	80,000/-
5.	परमिट की मान्य अवधि (05 वर्शों) तक प्रति वाहन देय ब्याज सब्सिडी/वित्तीय सहायता	4,00,000/-
6.	प्रथम चरण में यदि 500 वाहन इस योजना का लाभ उठाती है, तो प्रथम वर्श में देय कुल वित्तीय सहायता की आवश्यकता	4,00,00,000/- (चार करोड़)

इस बात पर विचार करते हुए कि 500 आवेदक इस योजना का लाभ उठाते हैं, तो 05 साल की योजना की पूरी अवधि के लिए कुल ब्याज सब्सिडी निम्नानुसार होगी :-

योजना का लाभ उठाने वाली वाहनों की अनुमानित संख्या	500
योजना अवधि (05 वर्ष) तक प्रति वाहन देय ब्याज सब्सिडी	4,00,000/-
05 वर्ष हेतु कुल ब्याज सब्सिडी	20,00,00,000/- (बीस करोड़)

12.2 उपरोक्त प्राक्कलित राशि रूपये 20.00 (बीस) करोड़ (पाँच वर्षों के लिए) का वहन मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्कीम मांग संख्या-47, मुख्य शीर्ष-3055-सड़क परिवहन, उप मुख्य शीर्ष-00-सड़क परिवहन, लघु शीर्ष-001- निदेशन एवं प्रशासन के अंतर्गत उप शीर्ष-04-झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान (Grant-in-Aid for Jharkhand Mukhyamantri Gram Gadi Yojana) मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

(13) <u>आम नागरिकों को देय सुरक्षा/रियायत</u> :-

13.1 भारत सरकार द्वारा Nirbhaya Framework के तहत संचालित योजना का क्रियान्वयन झारखण्ड राज्य में प्रक्रियाधीन है, जिसके प्रावधानों के तहत सभी Public Service Vehicle में Panic Button लगाया जायेगा, जो Emergency Response System (ERS) से सम्बद्ध रहेगा। उक्त योजना का झारखण्ड राज्य में क्रियान्वयन के पश्चात् संदर्भित प्रावधान को झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत परिचालित वाहनों पर भी लागू कर दिया जायेगा, जिससे कि महिलाओं तथा बच्चों को सुरक्षा/Sense of Safety प्रदान की जा सकेगी।

13.2 इस योजना के तहत आम नागरिकों को बस भाड़ा में दिये जाने वाले रियायत निम्नरूपेण देय होगी :-

क्र॰ सं॰	**वर्ग**	**लाभार्थी को रियायत**	**अनुरक्षण को रियायत**
1.	वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक)	100%	NIL
2.	छात्र/छात्रा	100%	NIL
3.	Total Blind Person	100%	100%
4.	Mentally Retarded Person	100%	100%
5.	100% hearing impaired person (Deaf & Dumb)	100%	NIL
6.	Orthopedically Challanged with 50-100% bodily deformity	100%	100%
7.	Orthopedically Challanged with 40-49% bodily deformity	100%	NIL
8.	Immune Deficiency (HIV/ AIDS person)	100%	NIL
9.	**राज्य सरकार द्वारा विधवा पेंशन से आच्छादित महिला**	**100%**	**NIL**
10.	**राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त झारखण्ड आंदोलनकारी**	**100%**	**NIL**

बस किराए में रियायत उपरोक्त तालिका के अनुसार सक्षम प्राधिकारी अर्थात् संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/मुखिया/नगर निगम तथा नगर पालिकाओं के कार्यकारी अधिकारी/संबंधित शैक्षणिक संस्थान द्वारा निर्गत पहचान पत्र (छात्र-छात्रा के लिए)/NACs or D.S.W.Os or State AIDS Cell (In case of immune deficiency diseases) द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर लागू/देय होगा ।

प्रारूप-क

प्रखण्ड स्तरीय समिति द्वारा मार्ग निर्धारण **प्रखण्ड का नाम**								
क्र.सं.	**मार्ग का नाम**	**परिचालन रहित/सहित**	**ग्राम पंचायत का नाम**	**प्रस्तावित मार्ग में पड़ने वाले स्कूल, अस्पताल, बाजार/हाट, रेलवे स्टेशन का नाम**	**प्रस्तावित मार्ग का नाम**		**मार्ग की लम्बाई कि.मी. में**	**परिचालन किये जाने वाले वाहन का प्रकार (बैठान क्षमता के अनुसार)**
					मूल प्रस्थान स्थल	**गंतव्य स्थल**		
1.								
2.								

प्रारूप-ख

जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित मार्ग **जिला का नाम**							
क्र.सं.	**मार्ग का नाम (भाया सहित)**	**ग्राम पंचायत का नाम**	**प्रस्तावित मार्ग में पड़ने वाले स्कूल, अस्पताल, बाजार/हाट, रेलवे स्टेशन का नाम**	**प्रस्तावित मार्ग का नाम**		**मार्ग की लम्बाई कि.मी. में**	**परिचालन किये जाने वाले वाहन का प्रकार (बैठान क्षमता के अनुसार)**
				मूल प्रस्थान स्थल	**गंतव्य स्थल**		
1.							
2.							

(14) इस योजना के तहत जिस मार्ग हेतु परमिट स्वीकृत की जायेगी उसी मार्ग पर वाहन का परिचालन हो यह सुनिश्चित करने के निमित्त योजना के तहत परिचालित वाहनों पर GPS अधिष्ठापित किया जाना अनिवार्य होगा।

(15) यह योजना संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

(16) एतद पर राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक-10.10.2022 को सम्पन्न बैठक की मद संख्या-12 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाय। यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेशित की जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राजेश कुमार शर्मा,
सरकार के सचिव
परिवहन विभाग ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 512 - 50